

- (1) \*In case where it is not possible to assess the value accurately the approximately value in relation to present condition may be indicated.
- (2)\*\* Includes short term lease also.
- (3) The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Group A, B, C and erstwhile Group D services under rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rules, 1964, on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any person dependent on Government servant.
- (4) The wording 'no change' or 'no addition' or 'as in the previous year' should be avoided and full details provided.
- (5) The columns should be filled up neatly in capital letters.

वर्ष - २०१८ के लिए अचल संपत्ति का विवरण (दिनांक 31-12-2018 तर

सेवा.....

								]	
:		अभियुक्तियां						8	
अधिकारी का नाम	वर्तमान वेतन	संपत्ति से	वार्षिक आय					7	
		संपत्ति कैसे अर्जित की गई क्या	खरीदी गई, पट्टे पर ली गई**,	बंधक, उत्तराधिकारी, उपहार अथवा		की तिथि तथा उस व्यक्ति का	नाम व ब्यौरा जिससे ली गई है।	9	
	मंत्रालय/विभाग/कार्यालयवर्तमान वेतनसीएसएल संख्यासीए	यदि संपत्ति अपने	स्वय के नाम पर नहीं	है तो बताएं कि	किसके नाम से है तथा	उससे सरकारी कर्मचारी	का क्या संबंध है	CJ.	
		*वर्तमान	मूल्य			1		4	
		मकान के मामले	में भूमि सहित	निर्माण/भूमि	अधिग्रहण की	लागत तथा खरीद	की तिथि	3	
		सब संपत्ति,आवासी	डेवीजन,ताल्लुक या भूमि और	अन्य भवनों जिर्माण/भूमि	आदि का नाम	व ब्यौरा		2	
अधिकारी का न	मंत्रालय/विभाग/	जिला, सब	डिवीजन,ताल्लुक	और गांव का	जार, जहा	सम्पत्ति है।		<b>q</b> 2am.	

Bcyoff::

1.\*जहां मूल्य का सटीक आंकलन संभव नहीं है वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए।

हस्ताक्षर

दिनांक....

2.\*\* अल्पकालीक पट्टे पर ली गई भी शामिल है।

3. घोषणा पत्र भरना तथा इसे केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) के अधीन सेवा में प्रथम नियुक्ति पर समूह क, ख, ग, तथा पहले समूह घ सेवा के प्रत्येक सदस्य र्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक बारह महीने के अंतराल पर भरा जाए जिसमें उसके नाम पर अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा सरकारी कर्मचारी पर आश्रित अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर अर्जित, उत्तराधिकार में प्राप्त पट्टे पर ली गई अथवा बंधक संपूर्ण अचल संपत्ति का विवरण दिया गया हो।

4. "कोई परिवर्तन नहीं" या "कोई परिवर्धन नहीं" या "पिछले साल के अनुसार" ऐसे वाक्यांश का उपयोग न किया जार तथा पूर्ण विवरण दिया जाएं। 5. कॉलम बडे अक्षरों में स्वच्छ रूप से भरा जाएं।

.

A SECTOR LAND